पत्र संख्या–14 / डी0एल0ए0 (एन0पी0जी0सी0)–औरंगाबाद–129 / 13–1991 / रा॰दि0–13-08-13

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
भू–अर्जन निदेशालय
बिहार , पटना

अधिघोषणा

सं0.. ~~तारीख.../.../2012~~

....आर0

चूंकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि गाँव– नरारीकला थाना.– **195**, परगना–सीरिस थाना– **बारूण** जिला– औरंगाबाद में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात नबीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है इसलिए, इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त गाँव– नरारीकला के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप के कम वेश, जो 0.6937 एकड़ के बराबर होता है और जिसकी अधिकृत खेसरा सं0 एवं चौहद्दी निम्न प्रकार है:–

अधिकृत खेसरा सं0 –

पूर्ण – 310, 347, 408

अंश –

उतर :– बांध

पूरब :– 311, 409 बांध

दक्षिण :– बांध

पश्चिम :– 343, 344, 407, 406 बांध

भूमि या भूमि के किसी खास भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानों की आवश्यक्ता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों के केवल वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है उसके निर्माण के लिए खोदना , हटाना या उपयोग में लाना आवश्यक हो ले लिए जायेंगे यह घोषणा अधिनियम 1894 की धारा 6 और अधिनियम 1894 की धारा 3 के खंड (1) के उपबंधो के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे सम्बन्ध हो।

भूमि का नक्शा भू–अर्जन पदाधिकारी, औरंगाबाद के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0 / –
सरकार के अवर सचिव।

समाहर्त्ता 5/5
औरंगाबाद

D:\MD-Naseem-Neyazi\Data\HP\4-6\Nararikala\Adhidhosana.doc

ज्ञापांक संख्या–14 / डी0एल0ए0 (एन0पी0जी0सी0)–औरंगाबाद –129 / 13– 1991 / रा0 दि0– 13-08-13

प्रतिलिपि 1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन प्रतियों के साथ (सी0 डी0 सहित) दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, औरंगाबाद को शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्त्ता, जिला गजट, समाहरणालय, औरंगाबाद को जिला गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोपरान्त उक्त की 10 (दस) प्रतियां जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, औरंगाबाद को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 3. आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 4. समाहर्त्ता / अपर समाहर्त्ता तथा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, औरंगाबाद को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 5. जिला अवर निबंधक, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 6. आई0 टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

13/8/13

(नरोत्तम प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव।